<u>प्रेस नोट</u> <u>दिनांक 01.10.2020</u>
<u>सराहनीय कार्य जनपद बागपत</u>

- **थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**

- <u>**घटना का संक्षिप्त विवरण :–**</u>

दिनांक 19.09.2020 को वादी कृष्णपाल ने थाना आकर लिखित सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी के पुत्र गौरव उम्र करीब 28 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर षव को जंगल ग्राम हिसावदा में मदन के खेत में फेंक दिया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सि0अहीर पर मु0अ0सं0 291/2020 धारा 302,201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

- <u>**पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–**</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.10.2020 को **सिंघावली अहीर पुलिया से** हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त (मृतक का पिता) 1–कृष्णपाल पुत्र गंगू सिंह निवासी सैडभर थाना सिंघावली अहीर हाल पता सी–सूरजपार्क समयपुर बादली दिल्ली 2–मनोज उर्फ सूरज पुत्र कर्मवीर निवासी नन्दनगरी ए–1/251 दिल्ली 3–लियाकत पुत्र षोकत निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त लियाकत के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्तो के विरूद्व थाना सिंघावली अहीर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- <u>**पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य–**</u>

अभियुक्त कृष्णपाल मास्टर ने पूछताछ पर बताया कि मेरा पुत्र गौरव नषे का आदी है जिससे मैं काफी परेषान रहता हूं। जो चरस गांजा आदि का नषा करता है, और आये दिन मुझे व मेरी घरवाली सन्तो देवी को बेइज्जती करके परेषान करता था। जिस कारण से मैं बहुत दुखी था। तथा गौरव अपने हिस्से की जमीन को कई महीने से बेचने की कोषिष कर रहा था। इसी कारण से मैने गौरव को मारने की योजना बनाई और लियाकत से अपने गांव सैडभर मे आकर गौरव को मारने की 1.5 लाख (डेढ लाख) रूपये में बात तय की। अभियुक्त कृष्णपाल पेषे से सेवानिर्वत्त एक षिक्षक रहा है एक षिक्षक पिता को उसके बेटे की यह अपराधिक कृत्य बरदाष्त नही थे। गौरव अपनी मां के साथ भी गाली गलौच व मारपीट करता था और मां के जेवर भी बेचना चाहता था। लियाकत प्रोपर्टी का कार्य करता था जिससे गौरव आसानी से लियाकत के झांसे मे आ जायगा और इससे गौरव की तमन्ना भी पूरी हो जायगी।

अभियुक्त लियाकत ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 18.09.2020 से करीब 05 दिन पूर्व हमारे गांव सैडभर में कृष्णपाल मास्टर ने अपने घर पर मुझे बुलाया और कृष्णपाल ने मुझसे कहा कि लियाकत भाई मैं अपने पुत्र गौरव से काफी परेषान हूं और मेरी बहुत बेइज्जती भी हो चुकी है। मेरे लडके गौरव को किसी भी तरीके से इस दुनिया से विदा कर दो, जिसके लिये मै तुम्हे 1.5 लाख (डेढ लाख) रूपये दे दूंगा। इस बात को सुनकर मै लालच में आकर सहमत हो गया और मैने दूसरे दिन नन्दनगरी दिल्ली जाकर मनोज उर्फ सूरज से कृष्णपाल मास्टर द्वारा पैसे देने के सम्बन्ध में बात की जिसमे मैने मास्टर जी के लडके गौरव को गाडी में ले जाकर मारने की बात कही तो मनोज तैयार हो गया, और बोला कि जिस दिन चाहो आ जाना मै तैयार हूं। यह प्लान बनाने के बाद मैं दिनांक 18.09.2020 को दिल्ली गया।

कृष्णपाल मास्टर मुझे आजादपुर मण्डी मे मिले और मास्टर जी ने पहले से बनी योजना के अनुसार अपने लडके गौरव को अपनी गाडी से बुलाया तथा मुझे गौरव के साथ जमीन दिखाने की बात कहकर गांव सैडभर के लिये भेज दिया। रास्ते में मुझे मनोज पूर्व मे बनी योजना के अनुसार नन्दनगरी के पास मैन रोड पर मिला। और मनोज को भी गौरव के साथ ही गाडी मे बैठा लिया। और हम नन्दनगरी से गांव सैडभर के लिये चल दिये। गौरव गाडी को चला रहा था। मै गौरव के पिछे वाली सीट पर बैठा था और मनोज गौरव के बराबर वाली सीट पर बैठ गया और हिसावदा गांव पर करके जैसे ही नहर की पुलिया पर पहुंचे तो मैने गौरव से कहा कि इसी पुलिया से बाई तरफ खडंजे पर लेले। यहां पर भी जमीन देखनी है और गौरव ने गाडी को खडंजे पर मोडकर चल दिया और करीब 100 मीटर चलने के बाद मैने अपने इसी तमंचे से गौरव को सीट के पिछे से ही गोली मार दी और गाडी लडखडा कर गन्ने के खेत की तरफ चली गई। इसके बाद मैने एक गोली और इसी तमंचे से गौरव को मार दी। तो गौरव की गाडी में ही मौत हो गई इसके बाद हमने गौरव को गाडी से खींचकर सडक किनारे ईंख के खेत मे डाल दिया। और खींचते समय उसके कपडे उतर गये थे। उसके बाद मैं तथा मनोज गौरव की गाडी को लेकर चले गये, गाडी मनोज चलाकर ले गया तथा गाडी को ट्रोनिका सिटी थाने के पास छोडकर मै तथा मनोज चले गये थे।

अभियुक्त मनोज ने पूछताछ पर बताया कि लियाकत चाचा कि मेरे पापा से कई वर्षो से दोस्ती है इसी वजह से मेरी बात लियाकत चाचा से हुई थी और लालच के वषीभूत मैने उनका साथ दिया था।

- **<u>अभियुक्त का नाम व पता–</u>**

  1–कृष्णपाल पुत्र गंगू सिंह निवासी सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, हाल पता सी–सूरजपार्क समयपुर बादली दिल्ली (मृतक का पिता)

  2–मनोज उर्फ सूरज पुत्र कर्मवीर निवासी नन्दनगरी ए–1/251 दिल्ली

  3–लियाकत पुत्र षोकत निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

- **<u>बरामदगी का विवरण :–</u>**

  1– अभियुक्त लियाकत के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

- **मृतक गौरव का अपराधिक इतिहास :–**

  1–मु0अ0स0 102/2020 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट व 129/177 एमवी एक्ट थाना बुराडी दिल्ली

  2–मु0अ0स0 88/2016 धारा 380,411 भादवि थाना समयपुर बादली दिल्ली।

  3–मु0अ0स0 148/2016 धारा 380 भादवि थाना समयपुर बादली दिल्ली।

  4–मु0अ0स0 15/2016 धारा 379 भादवि थाना समयपुर बादली दिल्ली।

  5–मु0अ0स0 14/2016 धारा 379 भादवि थाना समयपुर बादली दिल्ली।

  6–मु0अ0स0 25/2016 धारा 379 भादवि थाना समयपुर बादली दिल्ली।

  7–मु0अ0स0 26/2016 धारा 379 भादवि थाना समयपुर बादली दिल्ली।

- **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पषु कूरता अधिनियम में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से दो केन्टर गाडी मय कूरतापूर्वक भरे हुए 08 पषु बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.10.2020 को चैकिंग के दौरान अमरावती गेट के पास से अभियुक्त 1–सोनू पुत्र रहीस निवासी ग्राम बघरा 2–पोपीन पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम बुढेना थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से केन्टर गाडी नम्बर–यूपी–12 बीटी–2588 व केन्टर गाडी नम्बर यूपी–12 एटी–2132 मय कूरतापूर्वक भरे हुए 08 पषु बरामद किये गये है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ **थाना बागपत पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 पेटी अंग्रेजी षराब नाजायज बरामद।**

थाना बागपत–पुलिस द्वारा दिनांक 30.09.2020 को चैक पोस्ट निवाडा से अभियुक्त 1–अंकित पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम मुलसम थाना दोघट जनपद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 पेटी अंग्रेजी षराब अरूणाचल प्रदेष मार्का नाजायज बरामद की गई। अभियुक्त के विरूद्व थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ **जनपद बागपत पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बागपत– पुलिस द्वारा ग्राम काठा से मु0अ0स0 696/2020 धारा 147,148,452,323,324,307,302,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त 1–दीपक पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद षामली 2–नितिन पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम काठा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से आला कत्ल 01 सरिया व 01 डण्डा बरामद किया गया।

थाना चांदीनगर–पुलिस द्वारा खासपुर चौराहे से मु0अ0स0 157/2020 धारा 147,148,149,307,34 भादवि में वांछित अभियुक्त 1–सचिन पुत्र जगमाल निवासी ग्राम ओगटी थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।